हापुड़ पुलिस

प्रेस नोट

थाना – बाबूगढ़ **दिनांक 05.11.2024**

- **थाना बाबूगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर फर्जी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए कलैक्शन एजेण्ट को किया गिरफ्तार।**
- **जिसके कब्जे से शत-प्रतिशत 01,19,700/- रुपये नकदी बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त भारत फाईनेंस कम्पनी सिम्भावली मे कलैक्शन एजेण्ट है, जिसके द्वारा कलेक्शन की गई धनराशि को हड़पने के उद्देश्य से पुलिस को लूट की फर्जी सूचना दी गई थी।**

कार्यवाही:-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 327/2024 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 05.11.2024 को एक अभियुक्त को बनखण्डा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से शत-प्रतिशत 01,19,700/- रुपये नकदी बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं भारत फाईनेंस कम्पनी सिम्भावली मे कलैक्शन एजेंट हूँ। कुछ दिन पहले कलैक्शन की धनराशि में से मैने अपने एक दोस्त को 75,000/- रूपये उधार दिये थे। कम्पनी के 75,000/- रूपये मुझ पर उधार थे, कम्पनी की उक्त धनराशि को वापस करने के लिए मुझ पर दबाव रहता था। दिनांक 04.11.2024 को कलैक्शन काफी अच्छा हुआ था तो कलेक्शन की धनराशि को हड़पने के उद्देश्य से मैंने लूट की झूठी सूचना दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सौरव पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी शमशाबाद थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरादमगी का विवरण:-

01,19,700/- रुपये नकदी सम्बन्धित मु0अ0सं0 327/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विजय कुमार गुप्ता थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
3. है0का0 653 आदेश कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
4. है0का0 660 मनीष कुमार थाना बाबूगढ जनपद हापुड।
5. है0का0 427 अंकुर धामा थाना बाबूगढ जनपद हापुड।